34

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 1538-दो/2015 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 23 मार्च, 2013 - पारित व्दारा - तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया - प्रकरण कमांक 51 अ-12/2011-12

श्रीमती प्रेमीवाई पुत्री स्व.बृजभूखन राम ब्राहमण
ग्राम बेवदंडी कृषक ग्राम लंहगी
तहसील नौरोजावाद जिला उमरिया —आवेदक

विरूद्व

1– महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल.जोहिला क्षेत्र
नौरोजावाद तहसील नौरोजावाद जिला उमरिया
2– मध्य प्रदेश राज्य व्दारा कलेक्टर उमरिया —अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक 2 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 03 - 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया के प्रकरण कमांक 51 अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 23-3-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक 1 ने तहसीलदार नोरोजावद को आवेदन देकर मॉग रखी कि ग्राम लंहगी कोडार धुइहाई, धनवाही, नौसेमर की कुल 53.822 हैक्टर भूमि को खुली खदान कोयला परियोजना के विस्तार के लिये अधिग्रहीत है जिसका सीमांकन/बटांकन किया जाय। तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया ने राजस्व निरीक्षक मंडल नौरोजावाद से सीमांकन करके प्रतिवेदन मांगा। राजस्व निरीक्षक मंडल नौरोजावाद ने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 22-1-2013 प्रस्तुत किया , जिस पर से तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया ने प्र0क0 51 अ-12/2011-12 में आदेश दि0 23-3-2013 पारित किया एंव सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया के इसी आदेश के विरूद्व

यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि शासकीय अभिलेख में ग्राम लंहगी की भूमि सर्वे कमांक 13 रकबा 25.13 एकड़ गयादीन एंव हरप्रसाद के ग्राम शासकीय अभिलेख में दर्ज है। आवेदक के आवेदन पर तहसीलदार के यहां प्रकरण कमांक 4 अ 3/13-14 दर्ज हुआ है जिसमें पारित आदेश दिनांक 28-2-14 से नक्शा तरमीम का आवेदन निरस्त हुआ, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के समक्ष की गई। अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ ने प्रकरण कमांक 78/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 17-6-14 से अपील स्वीकार कर अभिलेख दुरूस्त कराये जाने के निर्देश दिये है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के आदेश दिनांक 17-6-14 के उपरांत तहसीलदार के समक्ष नक्शा दुरूस्ती का आवेदन दिया तब पता चला के भूमि का नक्शा तरमीम कर सीमांकन भी किया जा चुका है जब यह निगरानी की गई है इसलिये समस्त कार्यवाही आवेदक को सूचना दिये बिना एकपक्षीय की गई है इसलिये तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया का आदेश दिनांक 23-3-2013 निरस्त किया जावे एंव आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 13/280/1 का नक्शा तरमीम सही करने के वाद आवेदक के सामने सीमांकन किये जाने के निर्देश प्रदान किये जावे।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि ग्राम लंहगी कोडार धुइहाई, धनवाही, नौसेमर की कुल 53.822 हैक्टर भूमि को खुली खदान कोयला परियोजना के विस्तार के लिये अधिग्रहीत हुई है एंव एस.ई.सी.एल.जोहिला क्षेत्र नौरोजावाद की भूमि का सीमांकन/बटांकन किया गया है जिससे आवेदक हितबद्ध नहीं है इसलिये किया गया बटांकन एंव सीमांकन सही है निगरानी निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 51 अ-12/2011-12 के अवलोकन से परिलक्षित है के महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल.जोहिला क्षेत्र नौरोजावाद की ओर से 53-822 हैक्टर भूमि के बटा कायमी एंव सीमांकन हेतु आवेदन आने पर तहसीलदार ने दिनांक 18-6-11 को प्रकरण पॅजीबद्ध किया है एंव राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करने हेतु निर्देश जारी किये है। राजस्व निरीक्षक से सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 22-1-13

प्राप्त होने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 23-3-13 पारित कर सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। राजस्व निरीक्षक नौरोजावाद व्दारा नक्शा तरमीम/सीमांकन के लिये दिनांक 10-4-12 की तिथि नियत कर सूचना पत्र जारी किया है जो तहसील न्यायलय के प्रकरण में पृष्ठ 77 पर संलग्न है। सूचना पत्र किस क्रमांक व दिनांक से जारी किया गया है, सूचना पत्र पर जावक क्रमांक अथवा दिनांक अंकित नहीं है। इस सूचना पत्र की प्रतियॉ इस प्रकार भेजी गई हैं :-

1. तहसीलदार, तहसील नौरोजावाद जिला उमरिया म0प्र0
2. हलका पटवारी कोहका एंव नौसमर की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सरपंच ग्राम पंचायत कोहका/गहिराटोला विकास खंड करकेली जिला उमरिया

अर्थात सूचना पत्र मेढ़िया कास्तकारों पर निर्वहन नहीं कराया गया है जबकि आवेदक व्दारा भूमि सर्वे क्रमांक 13/280/1 स्वयं की निजी भूमि होना एंव सीमांकन/नक्शा तरमीम का प्रथक मामला तहसील न्यायालय में चलना बता रहा है। राजस्व निरीक्षक व्दारा जारी सूचना पत्र एंव उस पर लगाये गये पृष्ठांकन से परिलक्षित है कि एस.ई. सी.एल.जोहिला क्षेत्र नौरोजावाद की जिस भूमि का सीमांकन/बटांकन किया गया है भूमियों के नजदीकी कृषक अर्थात मेढ़िया कास्तकारों को सूचना नहीं दी गई है जिसके कारण राजस्व निरीक्षक व्दारा की गई कार्यवाही संदिग्ध होने से तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 51 अ-12/2011-12 में आदेश दिनांक 23-3-2013 भी दूषित प्रक्रिया पर आधारित है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नौरोजावाद जिला उमरिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 51 अ-12/2011-12 में आदेश दिनांक 23-3-2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि वाद विचारित भूमियों के समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचित करते हुये ईटीएसएम (इलेक्ट्रोनिक टोट्ल स्टेशन मशीन) से सीमांकन कराया जावे । तदुपरांत हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर